श्री रघुनाथ सिंह : मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हू कि प्रेसीडेंट को दो टर्म से ज्यादा नही रहना चाहिए और यह दूसरे देशो के उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसा करना ठीक है । लेकिन चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी को बिलाग करता हू और कांग्रेस पार्टी का यह आदेश है कि मैं इस बिल को वापस लूं इस लिए मैं इसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

Mr. Chairman: There are two amendments to the consideration motion.

Shri N. B. Maiti: I withdraw my amendment.

Pandit K. C. Sharma: I also withdraw my amendment.

Mr. Chairman: So, the hon. Members have the leave of the House to withdraw the amendments.

The amendments, were, by leave, withdrawn.

Mr. Chairman: Now, has the sponsor of the Bill leave to withdraw it?

Hon. Member: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

Mr. Chairman: Now that the Bill and the amendments have been withdrawn, we shall go to the next item. I am just looking for Mr. Dwivedy. He is not here.

Shri A. K. Sen: I suggest that Mr. Dwivedy may be sent for. He will be in the lobbies.

Mr. Chairman: I think an announcement was made that the House will sit till 6 o'clock.

Shri A. K. Sen: Mr. Dwivedy thought that this Bill will go on till 6 o'clock. He may be sent for.

Shri Mahanty: On a point of order I oppose the suggestion which has been made by the hon. Law Minister. It is not the business of the House to send word to Members. Now that he is himself coming, there is no objection.

Shri Braj Raj Singh: The other person should have been given the chance to move his Bill.

Mr. Chairman: The previous Bill has been withdrawn and we are now taking up Mr. Dwivedy's Bill. Mr. Dwivedy is here.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : सभापति जी, मैं अपना यह विधेयक, सिविल प्रोसीज्यर कोड अमेंडमेंट बिल संशोधन के रूप में प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मथौरिया (इटावा) : जिस तरह से पिछले बिल को श्री रघुनाथ सिंह जी ने * * वापस ले लिया, वही इसी तरह से यह बिल भी तो वापिस नहीं ले लिया जायगा ।

Shri V. P. Nayar: I want to make a request to the hon. Member, through you, to kindly speak in English so that some of us here may have the benefit of understanding it in order to register our emphatic support.

Mr. Chairman: You can only appeal, but cannot compel him.

Shri V. P. Nayar: We appeal to him.

Shri M. L. Dwivedi: I have no objection to speaking in English. But we have adopted Hindi as the national language and the hon.

** Expunged, as ordered by the Chair.

Members have to pick up Hindi. If we do not speak in Hindi, how will they pick up? Therefore, if we speak in Hindi, they will be able to pick up a little. If you want, I will give a summary of what I speak in Hindi.

Shri V. P. Nayar (Quilon): Since the Bill is in English, the speech should also be in English.

Mr. Chairman: He has a right to speak in Hindi.

Shri M. L. Dwivedi: If it is the wish of the House, I will speak in English.

An Hon. Member: It is not the wish of the House.

श्री म० ला० द्विवेदी : सभापति जी, आपको मालूम है कि भारत मे जो पहले राजे महाराजे थे उनको अभी तक कुछ अधिकार प्राप्त थे और वे अधिकार ऐसे थे कि जिससे जाब्ता दीवानी के सम्बन्ध में उन पर कोई कार्रवाई नही हो सकती थी क्योंकि वे अपने राज्यो में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थे, उनको पूरे पूरे अधिकार प्राप्त थे और वे अधिपति थे जिस प्रकार कि हमारे राष्ट्रपति है या इंग्लैंड की महारानी है। इस लिए उनके खिलाफ यह कानून लागू नही होता था। अब जब से राज्यों का भारत मे विलय हो गया है तब से बड़ी कठिनाइया उपस्थित हो रही है। सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारी जनता को अनुभव हो रही है वह यह है कि राजे महाराजे बड़े बड़े निजी व्यय पात हैं अपने खर्च के वास्ते।

17.9 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair.*]

साथ ही साथ उनके पास अपने राज्य के काल म जो बहुत धन था वह भी उनके पास है। उस सम्पत्ति को वे अब रोजगार और व्यापार मे लगाते है।

आप जानते हैं कि जब ये लोग व्यापार में अपने धन को लगाते है, तो उससे जनता के साथ उनका सम्पर्क होता है, आदान-प्रदान होता है और तरह तरह की बातें आती है। ऐसी स्थिति मे जनता को यह कठिनाई महसूस होती है कि अगर हम उन के विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं कर सकते, तो ये लोग मनचाहे काम करते है और इस तरह से बहुत से लोगों के रुपए, धन-सम्पत्ति, मारे जाते हैं। पिछली लोक सभा में मैं ने इसी विधेयक को विचार के लिए रखा था और चूंकि पिछली लोक सभा समाप्त हो गई, इस लिए यह विधेयक भी छूट गया। आज मुझे फिर मौका मिला है कि मैं इस सदन का ध्यान और इस देश की जनता और सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करूं। यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक है। मैं ने इस सम्बन्ध में पिछली लोक सभा में एक उदाहरण रखा था कि महाराजा विलासपुर, जो कि लोक सभा के सदस्य थे, के राज्य मे एक विधवा बुढ़िया ने अपने जीवन भर की कमाई, करीब तीस, चालीस हजार रुपए, उस के पास रखी। चूंकि वह उस समय रियासत का राजा था, इस लिए उस बुढ़िया को पूर्ण विश्वास था कि उस का रुपया उस को वापस मिल जायगा। उस बुढ़िया का न कोई बच्चा था और न ही कोई सहारा था। राज्य के विलय के पश्चात् उस ने चाहा कि बुढ़ापे मे जीवन-यापन करने के लिए उस को उस का धन वापस मिल जाय, लेकिन उस को इन्कार हो गया और उस को कहा गया कि तुम जो चाहो, कार्यवाही कर लो। मुझे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार से मांगे, तो अनुमति दिए जाने की व्यवस्था है। लेकिन आप जानते है कि आज-कल शासन में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि रैड-टेप--लाल फीता—बहुत जोरों से चलता है, जिस के कारण कोई भी कार्रवाही शीघ्र नही हो पाती। जिन के पास पैसा हो, धन अधिक हो, वे तो शीघ्र कार्यवाही कराने मे समर्थ हो जाते है, लेकिन जिन के पास धन नही है, साधन

[श्री म० ला० द्विवदी]

नही है कोशिश करने वाले नही है, अर्जी लिखने वाले नही है, जो अपने वकीलो को इजलास और कचहरी मे नही भेज सकते है वे क्या करें ? उन को बडी कठिनाई का सामना करना पडता है । इस प्रकार की कठिनाई सैकडो बूढे, बढियो और अन्य आदमियो को है ।

जहा तक राजा महाराजाओ का सम्बन्ध है मैं उन को बडी इज्जत करता हू । व हमारे देश के बहुत अच्छे नागरिक है । मैं यह जानता हू कि इस सशोधन पर उन को कोई आपत्ति नही होगी । लोग उन को सताने के लिए, चिढाने के लिए, परशान करने के लिए उन पर झूठे मुकदमे न चला दे और उन को खाम-खाह कोर्ट मे न जाना पड, इस बात की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । यह बात न मैं चाहता हू और न ही यह सदन चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को खाम-खाह परशान करने के लिए कोर्ट मे बुलाया जाय । इस लिए मैं राजा महाराजाओ के अधिकारो को समाप्त करने का पक्षपाती नही हू । लेकिन ८७(ख) मे जो हक उन को मिला है कि उन पर कोई मुकदमा चलाया ही नही जा सकता वह आजकल के युग में एक गलत चीज है जब कि हम ने अपने देश मे लोकतत्र का पूर्ण रूप से विकास किया है । राजा महाराजाओ को सब अधिकार प्राप्त है । जैसे हम लोगो को लोक सभा और राज्य सभा के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार है वैसे ही उन को भी अधिकार है । उन को देश की नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त है और हम उस का स्वागत करते है । लेकिन पुराने जमाने मे ब्रिटिश शासन ने उन का जो एक अधिकार दे रखा था, क्योकि व सचमुच अपने राज्य के अधिष्ठाता थे, अधिकारी थे, इस प्रजातत्र के युग मे भी उन का वह अधिकार जारी रहे और दूसरे नागरिक अपनी साधारण सहूलियतो और अधिकारो से वचित रहे यह उचित नही है और प्रजातत्र के सिद्धान्तो के खिलाफ पडता है । हमारे सविधान मे यह कहा गया है कि सब के अधिकार समान होगे, सब को समानता के साथ अवसर दिए जायेंगे लेकिन हम देखते है कि एक तरफ केवल पाच छ रियासतो के राजा महाराजा है, जिन को विशेषाधिकार मिले हुए है और दूसरी ओर ३६ करोड या ३८ करोड जनता है जिस के अधिकारो पर इस समय कुठाराघात हो रहा है । अगर साधारण लोग किसी प्रकार के आदान-प्रदान मे या व्यापार मे राजाओ के सम्पर्क मे आते है तो उनसे धन को ठीक उत्तर नही मिलता है और उन को अपना धन वापस नही मिलता है और अगर वह अपना धन वसूल करने के लिए कचहरी जाना चाहे, तो उन को मुकदमा चलाने का अधिकार नही है । शायद कुछ मामलो में हमारे गृह मत्रालय ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी, लेकिन बहुत से ऐसे मामले है, जो कि सच्चे मामले है, जिन मे गृह मत्रालय और भारत सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत नही दी और लोगो का रुपया हमेशा के लिए डूब गया ।

हम ने अपने सविधान मे यह वायदा किया है कि हम अपने नागरिको को बुढ़ापे में पेन्शन देगे । वह हम देते नही है और मैं समझता हू कि दस, पद्रह, बीस साल तक भारत सरकार इस योग्य नही हो सकेगी कि वह अपने बूढे नागरिको को पेन्शन दे सके । अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन भर पैसा अर्जित कर के रखता है कि वह बुढ़ापे मे काम आएगा और अपने जीवन की सारी कमाई को किसी राजा महाराजा के पास जमा कर देता है, तो वह धन उस को वापस नही मिल सकता है और वह उस का उपयोग नही कर सकता है और उस को वापस लेने के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार उस को नही है ।

जो विधेयक मैं ने सिविल प्रोसीजर कोड मे सशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया है, उस को पहले हमारे भूतपूर्व विधि मत्री, श्री पाटस्कर, ने इस सदन म रखा था, लेकिन जब

वह विधि मंत्री हो गए, तो वह इस विधेयक को आगे नहीं ले जा सके। मैं उन के काम को आगे बढ़ाने के लिए ही खड़ा हुआ हूं और चाहता हूं कि जिस न्यायपूर्ण मांग को वह इस सदन में रखना चाहते थे, उस को यह सदन मन्जूर करे। मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्रीगण इस पर विचार करें कि क्या हम कोई अन्याय-पूर्ण मांग कर रहे हैं और जो संशोधन मैं ने रखा है, क्या इस पर किसी को आपत्ति है। जहां तक इस सदन के सदस्यों का सवाल है, कोई भी इसके विरुद्ध नही है। जहां तक राजा महाराजाओं का प्रश्न है, मैं जानता हू कि वे भी इतने उदार हैं कि वे अपने बड़े बड़े राज्यों को विलय के लिए दे सकते है और बड़े से बड़े त्याग के लिए तैयार हो सकते है। वे इस देश के उच्च कोटि के और त्यागपूर्ण नागरिक है और वे इस छोटे से अधिकार के लिए जिद नही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जब सब तरफ से इस विधेयक के समर्थन की बात चल रही है, तो यह दलील पेश करना कोई अर्थ नही रखता है कि भारत सरकार ने उन लोगों के साथ कुछ मुहाइदे कर रखे हैं, कुछ शर्तें कर रखी है और उन की वजह से यह आवश्यक है कि भारत सरकार बराबर उन को मानती चली जाये। अगर आप उन सभी बातों को मानते चले जाते, जो कि आप ने पहले तय की थीं, तो मुझे इसमें ज्यादा आपत्ति न होती कि उन के ये अधिकार कुछ दिन और चलते रहें, लेकिन तथ्य यह है कि आप ने मुहाइदों में तरमीमें की है और कई अधिकार राजा महाराजाओं से वापस ले लिए है और कई बातो से पीछे हट गए हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश मे राजप्रमुख की प्रथा थी। हम ने यह तय किया था कि राजा महाराजा अपने राज्यो के, या जो राज्य आपस में मिला दिए गए, उन के राजप्रमुख होंगे। वह अधिकार हम ने उन से ले लिया और आज हमारे देश में कोई भी राजप्रमुख नहीं है। दूसरा उदाहरण यह है कि पहले राजा महाराजाओ के ऊपर टैक्स लगाने की बात नही थी, लेकिन आज हमारे वित्त मंत्री ने ऐसे प्रस्ताव पेश किए हैं—और वे पारित भी हो गए हैं—कि जिन के अनुसार राजा महाराजाओं पर कई प्रकार के कर लग सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार ने कई श्रमदान के कार्य प्रारम्भ किए है और पंच वर्षीय योजनाएं चलाई। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे राजा महाराजा हैं हमारे देश में, जिन्होंने श्रम दान के काम को आगे बढ़ाने में अपना हाथ बंटाया है। हमारी अल्प बचत योजना में कितने ही छोटे छोटे गरीब आदमी अपनी गाढ़ी कमाई के चार चार आने और एक एक रुपया दे कर पंच वर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और इसी करण से, हमारी जनता की सहायता और सहयोग से हमारी पंच वर्षीय योजनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। इन योजनाओं से हमारे देश का मस्तक बदलता जा रहा है। बडे बड़े विशाल कार्य हम कर रहे है। इन पंच-वर्षीय योजनाओं की न केवल इस देश के वासी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते है, अपितु विदेशो के जितने भी बड़े बडे आदमी हमारे देश में आए—चाहे वे पूर्व के हो, या पश्चिम के हो उत्तर के हो या दक्षिण के—उन सभी ने इस काम की सराहना की है। उन का मत है कि भारत एक एतिहासिक प्रयत्न कर रहा है और अगर भारत को इस मे सफलता मिल गई, तो संसार के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात होगा—एक नई बात पैदा हो जायगी और भारत मे सदा के लिए प्रजातंत्र की स्थापना हो जायगी। दूसरी ओर अमरीका के पत्रकारो का मत है कि अगर यह योजना सफल नही होती है, भारत सरकार अपने प्रयत्न मे सफल नही होती है, तो इस बात की सम्भावना है कि प्रति-क्रियावादी शक्तिया इस देश मे पनप जाये और प्रजातंत्र को नुक्सान पहुच जाय ऐसी स्थिति मे मैं चाहता हूं कि हमारा नागरिक चाहे वह छोटा हो या बडा हो, देश के इन बड़े बड़े कामों मे समान रूप से भाग

[श्री म० ला० द्विवेदी]

ले तथा सक्रिय रहे । कितनी ही अपीलें हमारे प्रधान मन्त्री जी ने, हमारे गृहमन्त्री जी ने निकाली है । मै अपने विधि मन्त्री जी से, प्रतिरक्षा मन्त्री जी से तथा उप-शिक्षा मन्त्री जी से जो कि यहा पर बैठे हुए है, पूछता हू कि वे आकडे एकत्र करके मुझे बतलाये कि इन पाच छ सौ राजाओ तथा महाराजाओ मे से कितनो ने अपने निजी व्यय में से श्रमदान के लिए रुपया पैसा दान दिया है ताकि काम चल सके । मै पूछना चाहता हू कि पच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए तथा उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए इन्होने क्या किया है । मै नही कहता कि वे अपन सारे धन को बिल्कुल दान मे दे दे । हमने यहा एक व्यवस्था बताई है कि हम धन, जेवर इत्यादि भी दे सकते है और उन को पूरे का पूरा रुपया वापिस भी मिल जायगा तथा उस धन से जो ब्याज आएगा उससे हमारी योजना चलेगी, देश का काम चलेगा ।

आज रेल मे भीडभाड को आप देखे तो आपकी आखे खुल जायेगी । मामूली स मामूली नागरिक की कठनिाइयो का आपको पता नही है । फुट बार्ड पर खडे होकर, छत पर चढ कर लोग सफर करते है तथा अपनी जान को खतरे मे डालते है । आज हमार पास रेलो के डिब्बे नही है । एजिन नही है । आज हम दिल्ली के अन्दर बडे बडे पुल बने हुए देखते है, बडी बडी सकडक बनी देखते है तथा रेलो की व्यवस्था हुई देखते है । बड बडे शहरो मे हम बडी बडी इमारतो को भी देखते है । लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी पच वर्षीय योजना स देहात की जनता को क्या लाभ पहुचा है । क्या आपने कभी सोचा है कि देहातो मे आपने छोटी छोटी कितने सडके बनाई है और कितनी सुविधाये देहातियो को प्रदान की है । इन बातो का पता हमारे माननीय मन्त्री जी को नही हो सकता है क्यो कि वे देहात में कभी गए ही नही है । सब काम बडे बडे शहरों में ही होते हैं ।

Shri Mohiuddin (Secunderabad) May I know whether the hon Member is relevant

श्री म० ला० द्विवेदी मै अपनी दलील को मजबूत करने के लिए ये सब बातें कह रहा हू । मैंने देखा है कि

उपाध्यक्ष महोदय आपके कहने से आपकी बात तभी मजबूत हो सकती है जब वह रेलेवेट हो । बिना रेलेवेट बात कहे, आपकी बात मजबूत नही होगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी मैं जो बात रेलेवेट नही होगी उसको नही कहूगा । मै दस साल से इस सदन का सदस्य हू .

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad) How could he understand your speech?

श्री मुहीउद्दीन रेलेवेट नही है, इस वास्ते समझ मे नही आ रही है ।

श्री ब्रजराज सिंह सब सदस्य समझ रहे है, केवल आप नही समझ रहे है ।

श्री महन्ता (ढकानाल) इधर आ जाइये ।

उपाध्यक्ष महोदय उधर न समझने वाले नही बैठे हुए है ।

श्री म० ला० द्विवेदी मै यह कह रहा था कि आज देहातो मे उन्नति के कार्य नही हो रहे है । इस का कारण यह है कि हम समुचित धन की व्यवस्था नही कर पा रहे है । यह धन क्यो नही आ रहा है, इस का कारण यह है कि हम ने कुछ व्यक्तियो को विशेषाधिकार दिए हुए है जिनके पास सम्पत्ति है, जो अपने थोड़े

से सुख के कारण जनता की हानि कर रहे है, देश की उन्नति में बाधा पैदा कर रहे है, तथा कोई काम नही चल पा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने एतराज इसलिए किया था कि आज यह चीज जेर बहस नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मै यह नहीं कह रहा हूं कि उनको जितने भी अधिकार मिले हुए है उन सबको उनसे छीन लिया जाए । बहुत से अधिकार जो उनको दिए गए है मै उनका पक्षपाती हूं । मै तो केवल एक छोटा सा अधिकार जो इस समय उनको प्राप्त है, छीने जाने के पक्ष में हूं और यह वह अधिकार है जोकि आम जनता को प्राप्त नही है । इस अधिकार के छीने जाने से कितनी सुविधायें देशवासियों को प्राप्त होगी इसको कहने की आवश्यकता नही है । सब सदस्य इसको समझते है । इसलिए इस विधयक को प्रस्तुत करते हुए मै इस सदन से अपील करता हू तथा सरकार से भी अपील करता हूं कि इस छोटे से विधेयक द्वारा जिस छोटी सी चीज की माग की जा रही है, उसको स्वीकार कर लिया जाए । यदि इसको स्वीकार करने मे सरकार को कोई आपत्ति है तो मै चाहता हू कि सरकार उस आपत्ति को हमारे सामने रखे और हमे बतलाये कि वह कौन सी आपत्ति है । मै तो समझता हूं कि इसमे कोई भी किसी प्रकार की भी आपत्ति सरकार की नही होनी चाहिए । आज हमने सब को समान अधिकार प्रदान कर रखे हैं । आज क्या हो रहा है । राजाओ तथा महाराजाओं को हमने कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए हुए है । आज हम आम जनता को इस अधिकार से वंचित किए हुए है कि अगर उनके धन को कोई ले ले और उस धन को वे वापिस चाहते हों, अपने जेवर को वापिस लेना चाहते हों और वे लोग इनको वापिस न देते हों तो उस जनता को न्याय भी नही मिल सकता है । इस समय यह परिस्थिति है। इसके सुधार के लिए मै ने एक छोटा सा विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मै ने इस बात की माग की है कि जाबता दीवानी में से धारा ८७(बी) को निकाल दिया जाए । इसको निकालने के बाद यह होगा कि हम सब को समान अधिकार मिल जाएगा ।

गृह मंत्रालय मे या किसी दूसरे मंत्रालय में जो एक सचिव है या जो उस विभाग का मंत्री है वह किसी जज से ज्यादा काबिल है या ज्यादा जिम्मेदार है, मै इसको नही मानता हूं । मै समझता हूं कि हमारे जो न्यायाधीश हैं वे हमारे मंत्रियों से, हमारे सैक्रेटरियों से या छोटे छोटे अधिकारियों से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा जिम्मेदार हैं । मैं चाहता हूं कि यह जो अधिकार है, इसे सरकार के हाथ से छीन कर न्यायाधीशों के हाथ में दे दिया जाए । यदि जज समझेगा कि प्रार्थी का केस रीजनेबल है तो वह उसको न्याय दे देगा और यदि समझेगा कि मामला गलत है, तो वह उसको खारिज कर देगा । यह एक बहुत ही न्यायोचित माग है और मै चाहता हूं कि सरकार इस को मान ले । इस छोटी सी न्याय की बातको जिसे हम अधिक जिम्मेदार आदमी के सुपुर्द करना चाहते है, मानने मे सरकार को कोई आपत्ति नही होनी चाहिए । मै आशा करता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए है वे मेरे इस छोटे से विधेयक का समर्थन करेंगे ताकि सरकार को मालूम हो जाए कि इस मांग के पीछे केवल मेरी ही आवाज नही है, बल्कि समूचे देश की आवाज है ।

इतना कह कर मै अपना आसन ग्रहण करता हूं तथा जब बहस का उत्तर दूगा तब फिर दूसरी विशेष बातें कहूंगा ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, be taken into consideration."

श्री अज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री म० ला० द्विवेदी ने जो विधेयक पेश किया है, मै उसका स्वागत

[श्री ब्रज राज सिंह]

करता हू और समझता हू कि हर माननीय सदस्य की ओर से उसका समर्थन किया जाएगा ।

यह विधेयक सविधान की उस भावना के अनुरूप है जिसमें हमने देश मे समता तथा बराबरी की घोषणा की है और उस भावना को आगे बढाने मे यह विधेयक सहायक सिद्ध हो सकता है । हिन्दुस्तान के सविधान के लाग होने के बाद हमारे किसी कानन मे इस तरह की बात रह या हमारे यहा एक नागरिक के साथ एक तरह से व्यवहार हो तथा दूसरे के साथ दूसरी तरह मे, यह हमे शोभा नही देता है तथा यह सविधान की भावना के भी विरुद्ध जाता है ।

जो बिल है उसमे केवल यह कहा गया है कि जाबता दीवानी की धारा ८७(बी) जो है उसको निकाल दिया जाए । इस धारा के अनुसार किसी पुरान राजे अथवा महाराजे के खिलाफ किसी प्रकार का दावा नही किया जा सकता है जब तक कि सरकार की उस दाव को करने के लिए स्वीकृति हासिल न कर ली जाए । यह बडे आश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार प्रशासनिक अधिकारियो को इतना जिम्मेदार समझ ले कि उनकी स्वीकृति मिल तब तो नालिस हो सक तथा जो न्यायाधीश है उनको इतना जिम्मेदार न समझे । मै समझता हू कि यह बात हिन्दुस्तान के सविधान के खिलाफ है तथा उसके पीछे जो भावना है, उसके खिलाफ है हम भारतवर्ष मे समता तथा बराबरी की बात तो अवश्य करते है लेकिन इस चीज को व्यवहार मे नही लाते है । हमारे जितने भी इस तरह क कानून है तथा उनमे जितनी भी इस तरह की बाते है, जोकि कास्टीट्यूशन की भावना के खिलाफ जाती हैं उनको हमे चाहिये कि हम धीरे धीरे निकाल दे और जितनी जल्दी हम इस काम को करेगे उतना ही अच्छा होगा । हिन्दुस्तान के सविधान के लागू हो जाने के बाद यदि इस तरह का कानून हमारी सरकार की ओर से आया होता तो इसकी मुझे बडी खुशी होती ।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि इस बिल को हमारे जो पूर्व कानून मत्री थे वह लाना चाहते थे लेकिन वह इसको नही ला सके । उनके काम को आगे बढाने के लिए माननीय प्रस्तावक महोदय को इसे लाना पडा है । इस बिल की भावना बहुत विशुद्ध है और यह उस विचारधारा

उपाध्यक्ष महोदय विधि मत्री जो इस बिल को लाना चाहते थे, वह मत्री बनने से पहले की बात है ।

श्री ब्रज राज सिंह यही खतरा होता है कि कही यही बात हमारे प्रस्तावक महोदय पर भी लाग् न हो जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय आप तो चाहेगे कि वह आ जाये ।

श्री ब्रज राज सिंह . हमे इससे कोई फर्क नही पडता है । यह पार्टी का सवाल है ।

मै अर्ज करना चाहता हू कि जिस धारा को जाबता दीवानी मे से निकालने के लिए आग्रह किया गया है यदि उसको निकाल दिया गया तो हम समता तथा बराबरी की ओर बढ सकेगे । समता तथा बराबरी लाने के रास्ते मे जितनी भी रुकावटे आती है चाहे वे कानूनी व्यवस्था के सम्बन्ध मे हो अथवा किसी और व्यवस्था के सम्बन्ध मे, उन सब को हमें निकाल देने की कोशिश करनी चाहिए । ये चीजे ऐसी है जो हमारे सविधान के खिलाफ जाती हैं तथा उसकी जो भावना है उसके खिलाफ जाती है जिसमें यह कहा गया है कि हम समता की तरफ बढेगे, बराबरी की तरफ बढेगे, हर एक को समान अवसर देगे ।

ये समान अवसर जब नहीं मिलते हैं, अब इस तरह की धारा मौजूद रहती है कि वह आदमी अपना पैसा वसूल करने के लिए एक क्लर्क की आज्ञा हासिल कर अदालत में नालिश ले ले लिए . . .

Mr. Deputy-Speaker: I shall ascertain the views of the House, now. We have two options now. Either we stop here so far as non-official business is concerned and take up the half an hour discussion which was fixed for 5-30 or we shall conitnue this debate till 6 p.m. and then I shall again ascertain the views of the House whether the hon. Members are prepared to sit longer.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The views may be different at that time.

Mr. Deputy-Speaker: Certainly. So, now I want to know if the hon. Members are willing to take up the half an hour discussion.

Some Hon. Members: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: Then this debate would continue on the next day and the hon Member may resume his seat Now, we shall take up half and hour discussion. The hon. Member will continue his speech the next day.

Expansion of Ordnance Factories

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the purpose of this discussion regarding expansion of Ordnance Factories under the Second Five Year Plan was to focus the attention of the hon. Members and just to make an appeal to the hon. Defence Minister about certain facts and the views of the working people employed under the Ministry of Defence, especially in the Ordnance Factories, as to how these Ordnance Factories can be expanded.

The expansion of public sector is securing the most important place in our Second Five Year Plan. If this is correct, then the defence industry as such is the second biggest industry in the public sector, the first being the Railways. There are 19 Ordnance Factories. There were actually 20 Ordnance Factories. One Ordnance Factory at Wadala was closed and now there are only 19 Ordnance Factories.

These Ordnance Factories can be split up into four types of factories—engineering, that of course includes explosives etc., then leather, clothing and optical. There are about 65,000 to 70,000 people employed in these Ordnance Factories.

When I talk of expansion of Ordnance Factories my intention is not only to expand these Ordnance Factories for the manufacture of civilian goods, because I realise the importance and significance of these Ordnance Factories to meet the requirements of our Armed Forces, Navy and the Air Force. When I talk of expansion, it is expansion for both the purposes.

First of all, I demand expansion because we think that with these Ordnance Factories with mass production machineries and cream of technicians the need of the hour is that, with all the Pacts hanging round our neck and with the game of the Imperialists, we should attain self-sufficiency in the matter of our defence requirements. I should mention here that even the Estimates Committee in its 68th Report has said this.

Whenever we demand that these Ordnance Factories should be expanded, immediately a question arises, for what purpose? We are not short of conventional weapons. It is an atomic age and, naturally, a demand for the conventional weapons is not so great. But, I should just read for the information of the hon. Minister a passage from this Estimates Committee's report. They say:

> "However, during the last world war, the number as well as the scope of these factories was increased considerably. But even